न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

<u>स्वत्व वाद सं0–167/2014</u>
सी.आई.एस. 169/2014

13-12-2022 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी के द्वारा दिनांक–09.06.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम 1 व 4 एवं अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0–5 ललन सिंह की मृत्यु 19.03.2022 को हो चुकी है और वह अपने पीछे अपने दो पुत्रों–लुथु सिंह एवं कुमार सिंह उर्फ बिक्की सिंह को छोड़ गए हैं जो उनके विधिक वारिसान हैं एवं प्रस्तुत वाद में पूर्व से ही प्रतिवादी सं0–4 एवं 6 के रूप में हैं। अतः प्रतिवादी सं0–5 के नाम को वाद से विलोपित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के आवेदन को सुना। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–09.06.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम 1 व 4 एवं अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही प्रतिवादी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रतिवादी नाम को विलोपित कर पृष्ठांकित करें। वाद दिनांक–07.02.2023 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी